

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
प्रकरण संख्या 32/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

विजय लक्ष्मी पत्नी स्व. श्री रामजीलाल पुत्री स्व. श्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर
बी-133, रामनगरिया जेडीए स्कीम एस.के.आई.टी.कालेज के पीछे, जगतपुरा, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

- 1 श्री विनित कुमार सुखाडिया आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर)
- 2 श्रीमती कोशलया पत्नी स्व. श्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी मिश्रा भवन, गढ के सामने, मुख्य बाजार, ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
- 3 आनन्द शंकर मिश्रा पुत्र स्व. श्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी मिश्रा भवन, गढ के सामने मुख्य बाजार, ग्राम गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
- 4 श्रीमती मधु बाला मिश्रा पत्नी स्व. श्री भवानी शंकर मिश्रा
- 5 रोहित मिश्रा पुत्र स्व. श्री भवानी शंकर
- 6 राहुल मिश्रा पुत्र स्व. श्रीभवानी शंकर
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल निवासी जी-3, गणपति अपार्टमेन्ट, अलंकार कालेज के पास, सिरसी रोड, जयपुर।
- 7 विजय शंकर पुत्र स्व. श्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल निवासी खाकी बाबा दास मठ, निर्वास कॉलेज के पास, लाल टाकी अहमद नगर, महाराष्ट्र।
- 8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर ।
- 9 उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय सांगानेर ।

अप्रार्थीगण

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक
कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 24/2023 ब उनवानी विजय
लक्ष्मी बनाम कौशलया व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये
जाने बाबत ।



उपरिथत:-

1. श्री विकास पाराशर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 20.08.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 24/2023 ब उनवानी विजय लक्ष्मी

जिला कलक्टर
जयपुर



बनाम कौशल्या व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

मुत्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री राकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुत्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 02.04.2024 को प्रार्थिया तारीख पेशी पर न्यायालय में आयी तब अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थिया को धमकी दी कि हमारी एस डी ओ साहब से बात हो चुकी है। पीठासीन अधिकारी ने आपका अस्थाई निपेधाज्ञा प्रार्थना पत्र तो खारिज कर दिया अब मैं शीघ्र ही आपका दावा भी खारिज करवा दूंगी। क्योंकि हमारी राजनैतिक पहुंच उपर तक है। हम अपने धनबल एवं राजनैतिक पहुंच के कारण एस डी ओ साहब पर दबाव बना रखा है जिस कारण वो शीघ्र ही प्रकरण का निस्तारण हमारे पक्ष में कर देंगे जिसके सम्बन्ध में प्रार्थिया द्वारा पीठासीन अधिकारी से चैम्बर में जाकर अवगत करवाया तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आप उक्त प्रकरण में बहस करो या मत करो मैं आगामी तारीख पेशी पर आपका दावा खारिज करूंगा। इस प्रकार प्रार्थिया को अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थिया आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ? जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गई है तो फिर प्रार्थिया को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थिया को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफरर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर कर रखा है। इसलिए जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करती है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुत्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुत्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर


द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति हर्ब कायदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को प्रेषित की जायेगी।

पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर